

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 116 / 2018
आर.सी.टी. कं. 111 / 18
संस्थापन दिनांक—27.04.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0
विरुद्ध

.....अभियोगी

लालु पिता शंकरिया भीलाला,
निवासी बरुफाटक थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

//निर्णय//
(आज दिनांक 27.04.2018 को घोषित)

01— अभियुक्त **लालु** के विरुद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 18.02.2018 को समय 13:30 बजे, स्थान— खजुरी फाटा, बरुफाटक पर आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक सफेद थैली में 15 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा रखने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 18.02.2018 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति लालु पिता शंकरिया निवासी इंदिरा कॉलोनी बरुफाटक का एक सफेद थैली में अवैध रूप से शराब लेकर खजुरी फाटे पर खड़ा है, मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान संतोष पिता हुकुमचंद व प्रदीप पिता लक्ष्मीनारायण को तलब कर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर खजुरी फाटे के पास पहुंचे। तो एक व्यक्ति सफेद रंग की थैली लेकर खड़ा दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, जिसे रोककर नाम पता पूछते अपना नाम लालु पिता शंकरिया का होना बताया। आरोपी लालु के पास से एक सफेद थैली को चेक करते उसके अंदर देशी मदिरा प्लेन 15 क्वाटर देशी शराब होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस

निरंतर.....

पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी अंकित का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष आरोपी लालु के कब्जे से 15 क्वाटर देशी शराब जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क्र0 61 / 18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी अंकित पिता महेश के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी लालु पिता शंकरिया ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति देशी शराब के 15 क्वाटर रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000 /— रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

सही /—

सही /—

(शरद जोशी)

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

अंजड जिला बड़वानी म0प्र0

अंजड जिला बड़वानी म0प्र0